न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **डॉ.रविकुमार सुरपुर,** आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. **अपील संख्या : 06**/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– श्यामलाल गहलोत पुत्र स्व.रामरतन जाति सैन निवासी रामानुज कोर्ट के पास, फतह सागर जोधपुर		1– श्रीमती सविता गहलोत पत्नी लोकेश गहलोत पुत्री शंभूसिंह जी जाति नाई 2–लोकेश गहलोत पुत्र श्यामलाल गहलोत सैन निवासीगण रामानुजकोर्ट के पास, फतेह सागर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा प्रकरण सं0 30/16 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 07.11.2017

1– अपीलार्थी स्वयं
2– प्रत्यर्थी सं0–1 स्वय
3– प्रत्यर्थीपक्ष–2 स्वयं

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 व 5 व सपठित धारा 23 के तहत पेश करते हुए रामानुज कोर्ट के पास, फतेहसागर जोधपुर स्थित प्रार्थी की मिल्कीयत के मकान से अप्रार्थी/प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखली करने का उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.08.2017 को निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया

अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि धारा 4, 5 सपठित धारा 23, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत आवेदन किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.17 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी एक वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है। रेस्पो.–2 प्रार्थी का पुत्र व रेस्पो.–1 पुत्रवधु है। रेस्पोपक्ष अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच कर अलग किराये के मकान में रहना प्रारम्भ कर दिया जिस पर अपीलार्थीपक्ष ने समझाईस कर प्रत्यर्थीपक्ष को अपनी मिल्कीयत के मकान सरदारपुरा कोट के पास, फतहसागर जोधपुर स्थित जायदाद के प्रथम तल के ठावो में दोनों प्रत्यर्थीगण को रहवास की अनुमति दी। बहस में आगे बताया कि प्रत्यर्थी–एक सविता ने अपीलार्थी एवं उसके परिवार के विरूद्ध मीरा संस्थान महिला थाना में झूठी शिकायत दर्ज करवाकर दबाव बनाना प्रारम्भ कर दिया कि अपीलार्थी अपने मिल्कीयत का मकान रेस्पो. –एक के नाम कर दे अन्यथा महिलाओं के केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई, तब अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उसके मिल्कीयत के मकान स्थित प्रथम मंजिल के ठावों से प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखल करने के आदेश पारित करने की इस्तदुआ की। बहस में यह भी बताया कि प्रार्थी की मिल्कीयत का मकान होने का प्रत्यर्थीपक्ष ने स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीपक्ष के मध्य सिविल एवं पारिवारिक वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जबकि दोनों के मध्य कोई किसी प्रकार का सिविल वाद विचाराधीन नहीं है। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, 2007 की धारा 4(4) में स्पष्ट किया कि " Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such senior citizen or he would inherit the property by such senior citizen " अतः इससे स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन के रिश्तेदारों को भी सम्मिलित किया गया जो उसकी सम्पति का कब्जाधारी हो एवं रेस्पो. 1 व 2 अपीलांट की सम्पति के कब्जाधारी है। बहस के अन्त में अपील स्वीकार कर वांछित सहायता प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

प्रत्यर्थीपक्ष–एक ने लिखित बहस में बतलाया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार अपनी संतान के विरूद्ध किया जा सकता है जबकि अप्रार्थी संख्या–एक अपीलार्थी की पुत्रवधु है। अपीलार्थी एवं अप्रार्थी–2 ने आपस में दुर्भिसंधि कर सुनियोजित रूप से अप्रार्थी–एक को तंग व परेशान करने एवं अप्रार्थी–एक को घर से बाहर निकालने तथा अप्रार्थी–एक पर अन्य न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में दबाव बनाने की नियत से उक्त प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी व अप्रार्थी सं.–2 ने आपसी दुर्भिसंधि से उक्त अधिनियम के तहत झुठे

ने अपने बड़े पुत्र कैलाश गहलोत को दिया गया जिसमें स्कूल संचालित की जा रही है एवं दूसरा मकान अपने छोटे पुत्र लोकेश (अप्रार्थी–2) के हिस्से में रखा। अपीलार्थी आज भी अप्रार्थी–2 के हिस्से में रखे अपने मकान रामानुजकोट के पास, फतहसागर जोधपुर में प्रथम तल पर अपनी पत्नी सहित निवास कर रहे है, मात्र अप्रार्थी–एक को घर से बाहर निकालने की नियत से रिश्तेदार के साथ मिलीभगत कर अपीलार्थी स्वयं को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में निवास करना बता रहा है। बहस में यह भी बतलाया कि अप्रार्थी–एक स्वयं मधुमेह जैसी भंयकर बिमारी से ग्रसित है तथा नियमित दवाईयां ले रही है। अप्रार्थी–एक सुसराल में प्रथम तल पर बने एक कमरे में अपने बच्चों के साथ निवास कर रही है तथा उसके आय का नियमित कोई साधन नहीं है। बहस में आगे यह भी कहा कि अप्रार्थी–एक को अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार द्वारा किये जा रहे दिन प्रतिदिन के अत्याचारों से परेशान होकर मजबूरन अपीलार्थी व सभी के विरूद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन किया जिसमें अपीलार्थी स्वयं भी पक्षकार है और माननीय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–3 जोधपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2016 को आदेश दिया गया कि प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थी–एक को रामानुजकोट के अंदर, फतेहसागर सरस्वती स्कूल के पास, जोधपुर के मकान के प्रथम तल के जिस कमरें में निवास कर रही है, से अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें और उस कमरे में बिजली, पानी हेतु मूलभूत सुविधाओं के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें व सुचारू रखे तथा अप्रार्थी–दो को अप्रार्थी सं.–1 व बच्चों के लिये प्रतिमाह पांच हजार रूपये भरण पोषण हेतु अदा करने को कहा। अपीलार्थीपक्ष द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जोधपुर महानगर के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 04.09.2017 को निरस्त कर दी गई। बहस के अंत मे कहा कि मात्र अपीलार्थी व अप्रार्थी–2 ने आपस में मिलीभगति कर दुर्भिसंधि पूर्वक उक्त प्रार्थना–पत्र व यह अपील पेश की गई, जो निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष मुख्यरूप से उसकी मिल्कीयत के मकान जो रामानुजकोट के पास, फतेहसागर जोधपुर स्थित प्रथम मंजिल के ठावों से प्रत्यर्थी–एक सविता को बेदखल करने की इस्तदुआ की गई जिस पर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष महानगर मजिस्ट्रेट कम–3 जोधपुर महानगर द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत फौजदारी विविध प्रकरण सं. 55/2016 श्रीमती सविता गहलोत बनाम [illegible] में दिनांक 01.06.2016 के आदेश को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकारों के बीच सिविल एवं पारिवारिक न्यायालय में विवाद विचाराधीन मानते हुए कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। फौजदारी विविध प्रकरण सं. 55/2016 के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जोधपुर महानगर के समक्ष दाण्डिक अपील नं. 78/2016 (लोकेश [illegible]

को स्वीकार योग्य नहीं माना तथा विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थीया सविता को रामानुजकोट के अन्दर, फतेहसागर, सरस्वती स्कूल के पास, जोधपुर में झासा गृहस्थी के निवास में प्रथम तल के जिस कमने में निवास का अधिकार दिया है, उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया गया अतः यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी सविता को रहने के लिए सिविल न्यायालय से आदेशित किया गया है जो अभी तक प्रभावी है अतः ऐसी स्थिति में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2017 के तहत अपीलार्थी किसी प्रकार से अनुतोष दिया जाना उचित भी नहीं है, परिणामस्वरूप अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण पुनः को लौटाया जाय। आदेश सुनाया गया।